



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-21.11.2023

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अभियुक्त रोहित कुमार भारती को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मान0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गई अवधि व कुल 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 493/2008 धारा- 4/25ए आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित कुमार भारती पुत्र गोवदीनराम निवासी बी-33/33 साकेत नगर थाना-लंका, वाराणसी को थाना लंका पुलिस व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 21.11.2023 को मान0 न्यायालय FTC-I जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त रोहित कुमार भारती उपरोक्त को धारा-4/25ए आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गयी अवधि व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । सभी सजा साथ-साथ चलेंगी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
जोन-काशी कमिश्नरेट-  
वाराणसी